

--:कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर:-  
-x-

कार्यालय-आदेश  
\*\*\*\*\*

श्री शेर सिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हुल्याणा-कठुमर अलवर को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ6/6 एफ. डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम, अलवर की अभिशंखा पर दिनांक 21.12.17 से इनके मूल वेतन का 6% प्रतिशत जो 500/- छःसौ रुपये प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

श्री शेर सिंह को आकस्मिक अवकाश, राज्यत्रित अवकाश का छोडकर अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाह भत्ता देय नहीं होगा।




अनशु डिल्ल  
आईएएस  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-3, 4/विकलांगभत्ता/17/ दिनांक: 12.1.18  
27

प्रतिलिपि:-

- रजिस्टर्ड
- 1 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम अलवर
  - 2 प्रधानाध्यापक, रामावि, हुल्याणा-कठुमर अलवर
  - 3 श्री शेर सिंह, प्र.अ. रामावि, हुल्याणा-कठुमर अलवर को मय मूल विकलांग प्रमाण-पत्र संलग्न।
  - 4 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक कार्यालय  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर